

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक : एफ -8/2009/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०७ मई, 2011

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश।

विषय- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009.

संदर्भ- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25-5-2009.

\*\*\*\*

कृपया संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अन्तर्गत व्यवहारिक कठिनाईयों के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई थी। उक्त परिपत्र के साथ संलग्न उदाहरण क्रमांक -3 में दर्शाित स्थिति इसी परिपत्र के बिन्दु क्रमांक -6 में दिये गये स्पष्टीकरण एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23 मार्च 2009 के पैरा 2 (अ) में दर्शायी गई स्थिति से भिन्न होने के कारण परिपत्र दिनांक 25-5-2009 के उदाहरण क्रमांक 3 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

उदाहरण -3-एक सहायक ग्रेड -1 कर्मचारी वेतनमान रूपये 4500-125-7000 1-1-2006 से वेतन रूपये 6000 (संशोधित वेतन बैंड 5200-20200+2800 ग्रेड पे) प्राप्त कर रहे थे उनकी सहायक लेखाधिकारी पद पर पदोन्नति वेतनमान रूपये 5000-150-8000 (संशोधित वेतन बैंड 9300-34800+3200 ग्रेड पे) में दिनांक 01 फरवरी 2007 को दी गई। शासकीय सेवक ने मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतन निर्धारण का विकल्प निचले ग्रेड की वेतनवृद्धि मिलने पर दिया। संबंधित शासकीय सेवक का वेतन निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

दिनांक	मौजूदा वेतन	संशोधित वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड पे	योग (3+4)	रिमांक (5200-20200+2800)
1	2	3	4	5	6
1-1-06	6000	11160	2800	13960	-----
आगामी वेतनवृद्धि 1-7-06	--	11580	2800	14380	-----


सहायक लेखाधिकारी पद पर पदोन्नति

1-2-07	---	11580	3200	14780	9300-34800+3200
--------	-----	-------	------	-------	-----------------

त-2-

पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण

1-7-07	---	12470	3200	15670	एक वार्षिक वेतनवृद्धि पदोन्नति के पूर्व मूल वेतन ₹11580+2800(ग्रेडपे) का 3% ₹440/- जोड़कर पदोन्नति पर वेतन ₹ 12020 होगा इस वेतन पर ग्रेड पे जोड़ते हुये 12020+2800(ग्रेडपे) कुल ₹ 14820/- का 3% ₹ 450/- जोड़कर ₹ 12470+3200(ग्रेडपे) में वेतन निर्धारित होगा ।
--------	-----	-------	------	-------	--

  
(मिलिन्द वाईकर)


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी ) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

  
(डी.के. सक्सेना)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग